

न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्र0क्र0:-272 / 03
संस्थित दिनांक:-10.06.2002

मुफीद बेग उर्फ बाबा मिस्त्री आयु 62 वर्ष पिता जब्बार बेग
जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 10 बैहर थाना व तहसील
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....परिवादी

!! विरुद्ध !!

01.अवधेश कुमार तिवारी आयु 46 वर्ष पिता स्व0 श्री जी.पी.
तिवारी निवासी सिविल लाईन कटनी जिला कटनी

.....आरोपी ।

02.शिवनंदन यादव पिता स्व0 श्रीराम गोपाल यादव
ए.एस.आई. थाना बैहर जिला बालाघाट (फरार घोषित)

!! निर्णय !!

(दिनांक 20/06/2018 को घोषित किया गया)

01:— उपरोक्त नामांकित आरोपी अवधेश पर दिनांक 23.06.2001 को आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत बैहर में फरियादी मुफीद बेग को लोकस्थान या उसके समीप माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने एवं फरियादी मुफीद बेग को चोरी के प्रकरण में फसाने के भय में डालकर 3,000/- रुपये परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करने, इस प्रकार धारा 294, 384 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02:— प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 12.06.2018 को आरोपी अवधेश कुमार एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को धारा 342 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा धारा 294, 384 भा.दं.वि. राजीनामा योग्य न होने से उस पर विचारण किया गया।

03:— परिवादी का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 23.06.2001 को सुबह 9:30 बजे परिवादी की दुकान पर आरक्षक अवधेश कुमार तिवारी आया और परिवादी को चोरी का सामान रखते हो कहकर माँ-बहन की

//2//

गालियाँ देने लगा, जब परिवादी ने मना किया तो अवधेश तिवारी ने कहा कि मोहनसिंह से चिलम एवं मिनी होल्डर लेकर रखे हो वह चोरी का है ऐसा कहकर आरक्षक अवधेश तिवारी परिवादी को थाने चलने के लिए कहा और मोटर सायकिल पर बैठाकर मोहनसिंह एवं परिवादी को थाना बैहर लेकर गया। थाना बैहर में आरोपीगण ने परिवादी को 3,000/— रुपये की मांग किया और नहीं देने पर चोरी का मामला बनाकर जेल भिजवाने की धमकी दिया। आरोपीगण ने कम से कम 2,000/— रुपये देने के लिए कहा, तब परिवादी ने छन्नू झायवर से 1500/— रुपये मंगाकर आरोपीगण को दिया। बाद में आरोपी 500/— रुपये की और मांग करने लगा। 1500/— रुपये लेकर परिवादी को आरोपीगण ने छोड़ा। परिवादी ने अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत किया, किन्तु पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

04:— आरोपी अवधेश कुमार ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0स0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपी ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

05:— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :—

1. क्या आरोपी अवधेश पर दिनांक 23.06.2001 को आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत बैहर में फरियादी मुफीद बेग को लोकस्थान या उसके समीप मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपी अवधेश ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी मुफीद बेग को चोरी के प्रकरण में फसाने के भय में डालकर 3,000/— रुपये परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया ?

!! निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण !!

विचारणीय प्रश्न क्रमांक:—01

06:— परिवादी मुफीद बेग प.सा.01 ने बताया है कि आरोपी अवधेश ने उसे मॉ—बहन की गंदी—गंदी गाली दी थी, किन्तु कौन सी गाली दी थी और

गाली सुनकर क्षोभ कारित होने के बारे में नहीं बताया है। संतोष अ.सा.02, सरदार प.सा.05 एवं इजराईल प.सा.07 ने बताया है कि आरोपी अवधेश ने मादरचोद और चोर की गाली दी थी, जो सुनने में बुरी लगी, किन्तु स्वयं परिवादी ने उक्त गाली के बारे में नहीं बताया है। सुनील प.सा.04 एवं नूरजहाँ प.सा.06 ने गाली-गलौच के बारे में कोई कथन नहीं किये हैं।

07:— धारा-292 भा0द0वि0 में अश्लीलता को बताया गया है जिसके अनुसार कोई पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रंगचित्र, रेखाचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जायेगा यदि वह कामोद्धीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, या उसका या, जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मर्दें समाविष्ट हैं वहां उसकी मद का प्रभाव, समग्ररूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाये जिसके द्वारा उसमें अंतर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य है।

08:— सार्वजनिक स्थल पर अथवा उसके समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अनिवार्य संघटको में से एक है। अश्लीलता की परख यह है कि क्या जिस बात पर अश्लीलता का आरोप लगाया है उसकी प्रवृत्ति उन्हें दुराचारी और भ्रष्ट बनाने की है। जिसका मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील है तथा जिनके कानों में ये शब्द पड़ सकते हैं पद अश्लीलता का उपयोग लैंगिक दुराचार तक निर्बन्धित है। अतः शब्द ऐसे होने से जिनसे यौन इच्छायें और कामुक विचार उत्तेजित हों। केवल कामुक टिप्पड़ियाँ अश्लील कही जा सकती हैं।

09:— न्यायदृष्टांत ओमप्रकाश विरुद्ध म0प्र0 राज्य, 1989 एम0पी0एल0जे0 657 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गालियों को शाब्दिक अर्थ नहीं दिया जा सकता। अश्लीलता की परख यह है कि क्या जिस बात पर अश्लीलता का आरोप लगाया है उसकी

प्रवृत्ति उन्हें दुराचारी और भ्रष्ट बनाने की है। जिसका मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। व्यक्ति की कुद्ध मानसिक अवस्था व्यक्त करने वाले मात्र सामान्योक्तियाँ भा0दं0सं0 की धारा-294 के उपबंध आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। अतः अशिष्ट गालियों मात्र से धारा-294 भा.दं.वि. के अधीन अपराध गठित नहीं होता। परिवादी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि आरोपी द्वारा उच्चारित किये गये शब्द अश्लील प्रकृति के थे, किंतु परिवादी मुफीद बेग प.सा.01 एवं साक्षियों ने भी यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा उच्चारित किये गये शब्द अश्लील प्रकृति के थे। स्वयं परिवादी ने यह भी नहीं बताया है कि आरोपी ने उसे कौन-कौन सी गालियाँ दी थी और गालियाँ सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ था। फलतः उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना दिनांक को परिवादी को लोकस्थान में अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005(2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02

10:— परिवादी मुफीद बेग प.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। जय स्तंभ चौक बैहर में 25 वर्षों से वह बेटरी दुकान का संचालन करता है। जून 2001 में लगभग 9-9:30 बजे आरोपी अवधेश तिवारी मोहन को मोटर सायकिल में लेकर उसकी दुकान में आया था। आरोपी ने उससे कहा कि चोरी का सामान खरीदे हो, तब उसने चोरी का सामान खरीदने से मना कर दिया था। आरोपी अवधेश ने उससे कहा कि जीप का चिलम और योग मोहन से खरीदे हो वह चोरी का है, तब उसने कहा कि मोहन ने उसके घर खाने का सामान नहीं है कहकर 50/- रुपये उधार ले गया था और सामान रख दिया था, किन्तु आरोपी ने उसकी बात नहीं सुनी और सामान उठाकर थाने चलने के लिए कहा और उसे और मोहन को थाना ले गया था। फिर आरोपी उसे लॉकप में बंद कर 3,000/- रुपये की मांग किया और पैसे

नहीं देने पर झूठे मामले में जेल भेजने की धमकी दिया। जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो आरोपी ने 2,000/- रुपये की मांग किया। फिर उसने छन्नू को पैसे लाने के लिए भेजा। छन्नू 1500/- रुपये लेकर आया था, तब आरोपी ने उसे छोड़ दिया और किसी को उक्त घटना के बारे में बताने पर झूठे केस में फसाने के धमकी दिया। आरोपी अवधेश दूसरे दिन पुनः पांच सौ रुपये बाकी का मांगने लगा, तब उसने इंतजाम होने पर भिजवाने के लिए कहा। आरोपीगण ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उसने घटना की लिखित शिकायत प्र.पी.01 एस.डी.ओ.पी. बैहर को दिया था, किन्तु सुनवाई न होने पर उसने परिवाद पत्र पेश किया।

11:— संतोष प.सा.02 ने बताया है कि वह परिवादी एवं आरोपीगण को जानता है। उसकी दुकान के सामने परिवादी की बेटरी डायनमो की दुकान है। दिनांक 23.06.2001 को आरोपी अवधेश मोहन को मोटर सायकिल पर लेकर आया और पूछा कि बाबा मिस्त्री कौन है, तब परिवादी ने बताया कि उसका नाम बाबा मिस्त्री है। आरोपी ने उसे चोरी का सामान खरीदे हो कहा था और चिलम होल्डर लाने के लिए कहा। मोहन ने कहा कि चोरी का सामान नहीं था। गोवारी में कबाड़ी से खरीदकर लाया था, जिसे रखकर उधार लिया है, किन्तु अवधेश तिवारी उसे अनसुना करके मोहन बघेल एवं परिवादी को थाना ले गया। एक घंटे बाद छन्नू ड्रायवर आया और बाबा मिस्त्री के घर से एक हजार रुपये लाया था। उसने बताया था कि 3000/- रुपये आरोपीगण मांग कर रहे थे और 2000/- रुपये में छोड़ने की बात हुई है। उसने भी छन्नू को 500/- रुपये दिया था। उसे परिवादी ने बताया कि आरोपीगण लॉकप में बंद करके रखे थे और कह रहे थे कि पैसा नहीं दोगे तो झूठे केस में फंसा देंगे। दूसरे दिन आरोपी तिवारी आकर 500/- रुपये की और मांग किया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बैहर पुलिस ने उसके विरुद्ध नकली ऑईल बेचने का मामला दर्ज किया है। यह भी स्वीकार किया है कि उक्त कार्यवाही में आरक्षक अवधेश सम्मिलित था तथा यह स्वीकार किया है

कि परिवारी से उससे अच्छे संबंध है। इस प्रकार यह साक्षी हितबद्ध साक्षी है तथा प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि थाने में क्या घटना हुई थी उसे जानकारी नहीं है। उसे थाने जाने का मौका नहीं आया था। उसे परिवारी ने जो बताया था उसी बात की जानकारी है। इस प्रकार यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है और इसके समक्ष कोई लेन-देन भी नहीं हुआ है, जिससे साक्षी का कथन लेन-देन के संबंध में पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है।

12:— जगदीश प.सा.03 ने बताया है कि दिनांक 25.06.2001 को परिवारी ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बैहर के नाम से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी एक प्रति पर उसने हस्ताक्षर कर पावती परिवारी को दिया था, किन्तु परिवारी द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा कोई विवेचना नहीं की गई थी तथा परिवारी स्वयं ने बताया है कि पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने से उसने परिवार पेश किया है।

13:— सुनील उर्फ छन्नू प.सा.04 ने बताया है कि वह परिवारी एवं आरोपीगण को जानता है। परिवारी की गांधी चौक बैहर में बेटरी डायनमो की दुकान है। दिनांक 23.06.2001 को 9:45 बजे वह परिवारी की दुकान में गया था और परिवारी के बारे में पूछा, तो सरदार मिस्त्री ने उसे बताया कि परिवारी को आरक्षक अवधेश तिवारी थाना बैहर ले गया है। चिलम होल्डर की खरीदी के संबंध में जांच हेतु थाना ले गये थे। फिर वह थाना जाकर परिवारी से मिला, तो उसने बताया कि आरोपीगण 3,000/— रुपये की मांग किये हैं और नहीं देने पर झूठे मामले में फसाकर जेल भिजवाने की धमकी दिये हैं। फिर वह परिवारी की पत्नि से 1000/— रुपये एवं संतोष अग्रवाल से 500/— रुपये मांग कर कुल 1500/— रुपये लेकर थाना गया और आरक्षक अवधेश तिवारी को दिया। फिर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर छोड़ दिया गया। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण द्वारा उससे 2000/— रुपये मांगने की

//7//

शिकायत उसने थाने के टी.आई. एवं एस.डी.ओ.पी. को नहीं की थी। यदि परिवादी द्वारा चोरी का माल नहीं खरीदा गया था और उन्हें झूठे मामले में फसाने की धमकी दी गई थी, तो तत्काल थाने में ही परिवादी या यह साक्षी उक्त बात की सूचना थाने के टी.आई. या एस.डी.ओ.पी. को कर सकते थे, किन्तु उनके द्वारा नहीं की गई। प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने परिवादी को घटना के दिन ही पुलिस को शिकायत करने के बारे में नहीं कहा था और उन्होंने अवैध रूप से पुलिस द्वारा राशि वसूलने के संबंध में पुलिस को घटना के दिन ही शिकायत नहीं किया तथा प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे पैसे के संबंध में किसी ने सीधे तौर पर नहीं कहा था। इस प्रकार इस साक्षी से आरोपीगण द्वारा पैसों की मांग भी नहीं की गई।

14:— सरदार प.सा.05 ने बताया है कि दिनांक 22.06.2001 को मोहन ने परिवादी की दुकान पर चिलम होल्डर लाकर रखा था। मोहन ने परिवादी से उसके घर में खाने को पैसा नहीं कहकर 50/— रुपये मांगा और सामान रखकर चला गया। दिनांक **23.06.2001** को मोहन लेकर आरोपी अवधेश लेकर आया था और चिलम होल्डर के बारे में पूछा था। आरोपी ने परिवादी को चोरी का सामान रखते हो कहकर अपने साथ थाना ले गया। उसके बाद छन्नू आया, जिसे उसने परिवादी को थाना ले जाने के बारे में बताया था और 2000/— रुपये मांग करने के बारे में भी बताया था। फिर छन्नू परिवादी की पत्नि से 1000/— रुपये और संतोष अग्रवाल से 500/— रुपये कुल 1500/— रुपये लेकर थाना गया था। लगभग डेढ़ घंटे बाद परिवादी एवं छन्नू आये थे। परिवादी ने बताया कि आरोपीगण पैसा नहीं देने पर झूठे केस में फसाने एवं मारपीट करने की धमकी दे रहे थे। आरोपी तिवारी दूसरे दिन आकर 500/— रुपये और मांग रहा था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्पष्ट इंकार किया है कि थाने में उसने घटना नहीं देखी। उसे थाने जाने का मौका नहीं मिला था, जो बाद उसे परिवादी एवं छन्नू ने बताया था वह वही बात बता

रहा है। इस प्रकार इस साक्षी के सामने भी कोई लेन-देन नहीं हुआ है और परिवादी एवं छन्नू के बताने पर इस साक्षी ने घटना बताया है। यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी है, जिससे साक्षी का कथन पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है।

15:— नूरजहाँ उर्फ नगमा प.सा.06 ने बताया है कि परिवादी उसके पति है। वह आरोपीगण को जानती है। दिनांक 23.06.2001 को उसकी दुकान का नौकर सरदार एवं छन्नू ड्रायवर ने उसके आकर बताया कि उसके पति को थाना बैहर में आरोपीगण ले गये हैं और 2000/— रुपये की मांग कर रहे हैं और नहीं देने पर झूठे केस में फसाकर जेल भेजने की बात कह रहे हैं, तब उसने 1000/— रुपये दिया था। छन्नू ने संतोष से 500/— रुपये मांगकर थाना में दिया था। फिर उसके पति को छुड़ाकर लाया था। इस साक्षी के समक्ष भी आरोपीगण को पैसा नहीं दिया गया है।

16:— इजराईल खान प.सा.07 ने बताया है कि वह परिवादी एवं आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक 23.06.2001 की है। आरोपी अवधेश मोहन को साथ लेकर आया था और जीप का योग चिलम लिये हो कह रहा था, तब परिवादी ने बताया कि मोहन योग का चिलम होल्डर रखकर गया है। मोहन ने कहा था कि चोरी का सामान नहीं है। फिर आरोपी अवधेश मोहन एवं परिवादी को लेकर थाने गया था। फिर वह काम में चला गया। शाम को उसे परिवादी ने बताया कि 1500/— रुपये देकर छूटा है। 2000/— रुपये मांग रहे थे और 500/— रुपये बाद में देना है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने पैसों का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। परिवादी के बताये अनुसार घटना की जानकारी दे रहा है। इस प्रकार यह साक्षी भी घटना का अनुश्रुत साक्षी है।

17:— मुकेश कुमार श्रीवास्तव प.सा.08 ने बताया है कि वह वर्तमान एडिशनल एस.पी. नरसिंहपुर के पद पर पदस्थ है। वह मार्च 01 से जून 02 तक एस.डी.ओ.पी. बैहर के पद पर पदस्थ था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से

प्राप्त शिकायत क्र. जिनकी संख्या 10-12 थी परिवारी मुफीद बेग एवं मोहन बघेल निवासी बैहर द्वारा तत्कालीन ए.एस.आई. एन0एस. यादव एवं अवधेश तिवारी के विरुद्ध दी गई थी। उक्त शिकायत पर उसने विभिन्न गवाहों के कथन लिया था। जांच पर उसने पाया था कि ए.एस.आई. यादव ने तत्काल प्रकरण कायम न कर संदिग्ध आचरण के कारण शिकायत का मौका दिया। आवेदक व उसके परिजन के अनुसार ए.एस.आई. ने आरक्षक के माध्यम से पैसे प्राप्त किए। उसने पत्र क्रमांक एस.डी.ओ.पी./रीडर/बैहर/शिकायत/पुलिस/17.01.02 दिनांक 31.02.01 की रिपोर्ट दी थी। न्यायालय को मांगे जाने पर उसने रिपोर्ट प्र.पी.02 दिया था। जांच के दौरान उसने मुफीद बेग, संतोष अग्रवाल, सरदार, नूरजहाँ एवं इजराईल के कथन लेखबद्ध किया था।

18:— मुकेश कुमार श्रीवास्तव प.सा.08 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने जांच रिपोर्ट प्रेषित किया था, जिसमें यह पाया था कि थाना बैहर की पुलिस ने मोटर पाटर्स चोरी के संबंध में परिवारी मुफीद बेग को बुलवाया था और पूछताछ की थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपनी जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि तत्समय पुलिस थाना बैहर के लॉकप में विशेष शस्त्र बल के आर्म्स रखने के कारण लॉकप का उपयोग नहीं किया जाता है, यह बात परस्पर विरोधाभासी है। यह भी स्वीकार किया है कि उस समय लॉकप में कैदी नहीं रखे जाते थे, क्योंकि उस समय लॉकप में आर्म्स रखे होते थे। इस प्रकार परिवारी मुफीद ने बताया था कि उसे लॉकप में बंद कर दिये थे, किन्तु तत्कालीन जांचकर्ता अधिकारी मुकेश ने बताया है कि लॉकप में कैदी नहीं रखे जाते थे, जिससे परिवारी एवं जांचकर्ता के कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास है।

19:— मुकेश कुमार श्रीवास्तव प.सा.08 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि जांच के दौरान आरक्षक अवधेश कुमार ने अपने

स्पष्टीकरण में यह बताया था कि बोदा-झांगुल के पास एक जीप लावारिस हालत में थी, जिसके संबंध में थाना बिछिया जिला मण्डला में चोरी की रिपोर्ट होने की बात बताया था। उक्त संबंध में पूछताछ के लिए आरक्षक अवधेश तिवारी ने मुफीद बेग को बुलाया गया था। यह भी स्वीकार किया गया है कि थाना प्रभारी के निर्देश के अधीन उसके अधीनस्थ कर्मचारी काम करते हैं। यह भी स्वीकार किया है कि दोनों आरोपीगण ने मोहनसिंह बघेल एवं बाबा मिस्त्री को थाने बुलाकर पूछताछ किया था, जो उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में है। इस प्रकार जांचकर्ता अधिकारी के कथन से भी यह स्पष्ट होता है कि चोरी की वस्तु के संबंध में परिवादी मुफीद बेग को थाना बैहर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

20:— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1-घ) में यह प्रावधान किया गया है कि जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है, जिसकी चुराई हुई संपत्ति होने पर उचित रूप से संदेह किया जाता है और जिस पर ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एवं वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है तथा जांचकर्ता मुकेश श्रीवास्तव प.सा.08 ने भी अपनी जांच में यह पाया था कि मोटर पाटर्स चोरी के संबंध में ही परिवादी मुफीद बेग को बुलाया गया था।

21:— परिवादी मुफीद बेग प.सा.01 के अनुसार मोहनसिंह के साथ उसे आरक्षक अवधेश पूछताछ के लिए थाने ले गया था और उसके सामने घटना हुई थी। लेन-देन के आरोप तथा लॉकप में बंद करने के संबंध में मोहनसिंह महत्वपूर्ण साक्षी था। परिवादी मुफीद बेग प.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि मोहनसिंह उसके साथ प्रारंभ से लेकर थाने से छोड़ते तक उसके साथ में था। यह भी स्वीकार किया है कि वह मोहनसिंह को पहचानता है। यह भी स्वीकार किया है कि परिवाद की गवाह सूची में उसने

मोहनसिंह को साक्षी के रूप में नहीं रखा है। मोहन स्वतंत्र साक्षी हो सकता था और घटना उसके समक्ष हुई थी, ऐसे में मोहन महत्वपूर्ण साक्षी था, किन्तु परिवादी मुफीद के पहचान का होने के बावजूद परिवादी ने उसे साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है तथा प्रस्तुत नहीं करने का कोई कारण भी नहीं बताया है। परिवादी मुफीद ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि मोहनसिंह ने उसे बताया था कि चिलम गोवारी से खरीदकर लाया था। गोवारी के किस व्यक्ति से खरीदा था, उसकी जानकारी नहीं है। यदि परिवादी द्वारा मोहन को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाता तो यह भी स्पष्ट हो जाता कि जिस संपत्ति को चोरी की संपत्ति समझकर रखने के संबंध में परिवादी के विरुद्ध जांच किया जा रहा था वह किसकी संपत्ति थी तथा चुराई हुई संपत्ति के संबंध में जांच करने एवं विवेचना करने का अधिकार पुलिस को है।

22:— परिवादी मुफीद बेग प.सा.01 ने बताया है कि उसे 9—9:30 बजे पूछताछ के लिए ले गये थे और 11—11:30 बजे थाने से उसे छोड़ दिये थे। यह भी स्वीकार किया है कि उस दिन उसने कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। दूसरे दिन भी उसने कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। उसके दूसरे दिन आरोपी पैसा मांगने आया था, तब भी उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। इस प्रकरण में पैरवी करने वाले अधिवक्ता उसके बड़े भाई है। इस प्रकार परिवादी को अवैध रूप से लॉकप में बंद कर पैसे की मांग की गई, तब वह तत्काल छुटने के बाद अपने बड़े भाई अधिवक्ता को घटना के बारे में बता सकता था, किन्तु परिवादी द्वारा ना ही अपने भाई को बताया गया और ना ही रिपोर्ट की गई। मुफीद बेग ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना के बाद 23 एवं 24 जून को अपने बड़े भाई बेग अधिवक्ता से घटना के संबंध में कोई चर्चा नहीं किया था।

23:— परिवादी के अनुसार घटना दिनांक 23.06.2001 की है, किन्तु परिवादी द्वारा घटना का परिवाद दिनांक 05.07.2001 को प्रस्तुत किया गया है।

जबकि परिवादी के अनुसार उसके बड़े भाई भी स्वयं अधिवक्ता है। परिवादी द्वारा लगभग 11 दिन के विलंब से परिवाद प्रस्तुत किया गया है। थाना बैहर में या पुलिस अधीक्षक को कोई शिकायत भी उक्त घटना के संबंध में नहीं की गई है। विलंब से रिपोर्ट किये जाने या परिवाद पेश किये जाने पर न्यायालय को यह देखना होता है कि विलंब का कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण है या नहीं और विलंब का स्पष्टीकरण संतोषप्रद है या नहीं। परिवादी द्वारा विलंब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायदृष्टांत रुखदु सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2010 कि.लॉ.498 म0प्र0 में यह अवधारित किया गया है कि जहाँ रिपोर्ट में विलंब का पर्याप्त स्पष्टीकरण न हो वहाँ अभियोजन का मामला सदिग्ध होता है।

24:— परिवादी मुफीद बेग प.सा.01 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि आरोपीगण उसे लॉकप में बंद कर दिये और उससे 3,000/—रुपये की मांग किए तथा उसे गाली-गलौच एवं मारपीट की गई। जबकि जांचकर्ता अधिकारी मुकेश श्रीवास्तव प.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट बताया है कि घटना के समय पुलिस थाना बैहर के लॉकप रूम में आर्म्स रखे होने के कारण कैदी नहीं रखे जाते थे, जिससे परिवादी को लॉकप में रखे जाने की बात विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता। परिवादी स्वयं ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी अवधेश तिवारी ने थाने में उसके साथ गाली-गलौच एवं मारपीट नहीं की, जिससे थाने के अंदर आरोपी अवधेश द्वारा परिवादी को लॉकप में बंद कर गाली-गलौच एवं मारपीट एवं पैसा मांगने की बात संदेहास्पद हो जाता है। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि पूरी घटना के दौरान मोहनसिंह बघेल उसके साथ था, किन्तु परिवादी ने मोहनसिंह बघेल को साक्षी के रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया है।

25:— संतोष कुमार प.सा.02 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि थाने में क्या घटना हुई थी, उसके संबंध में उसे जानकारी नहीं है। इस

प्रकार यह साक्षी भी थाने के अंदर की घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। साक्षी सुनील उर्फ छन्नू प.सा.04 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि थाने में पैसे के संबंध में सीधे तौर पर उससे कुछ नहीं कहा गया था, जिससे इस साक्षी के कथन से भी परिवादी से रुपयों की मांग किये जाने का समर्थन नहीं होता है। साक्षी नूरजहाँ प.सा.06 भी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, जिसके समक्ष भी रुपयों का लेन-देन नहीं हुआ है। साक्षी इजराईल प.सा.07 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके सामने पैसे का कोई लेन-देन नहीं हुआ था। साक्षी मुकेश प.सा.08 ने जांच कर रिपोर्ट दिया है, किन्तु जांच के साक्षियों का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है, इसलिये उनकी जांच रिपोर्ट तात्विक नहीं है तथा उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध कोई प्रकरण भी पंजीबद्ध नहीं किया गया है। परिवादी भी विलंब से प्रस्तुत किया गया है। जबकि स्वयं परिवादी का भाई अधिवक्ता होना स्वीकार किया गया है। विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण भी नहीं है। फलतः परिवादी एवं साक्षियों के कथन के उपरोक्त विवेचना के आधार पर परिवादी का मामला संदेहास्पद हो जाता है एवं जहाँ परिवादी का मामला संदेहास्पद हो वहाँ संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायादृष्टांत स्टेट आफ एम.पी. बनाम सुनील जैन, 2007(3) म.प्र.लॉ.ज.372 म.प्र. अवलोकनीय है।

26:—

उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी अवधेश कुमार तिवारी ने दिनांक 23.06.2001 को आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत बैहर में फरियादी मुफीद बेग को लोकस्थान या उसके समीप माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी मुफीद बेग को चोरी के प्रकरण में फसाने के भय में डालकर 3,000/- रुपये परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया। फलतः आरोपी अवधेश कुमार तिवारी को धारा 294, 384 भा.दं.वि. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

// 14 //

27:— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किया जाता है।

28:— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपी के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

29:— आरोपी शिवनंदन यादव के फरार होने से प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित”

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला बालाघाट(म.प्र.)